812

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3311

दिनांक 16/03/2021/25 फाल्गुन,1942 (शक) को उत्तर के लिए

हिन्दी सलाहकार समिति

†3311. श्री एस. सी. उदासी:
कुमारी प्रतिमा भौमिक:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा के प्रावधान के अनसुार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय सभी मंत्रालयों को एक हिंदी सलाहकार समिति का गठन करना होता है;

(ख) यदि हां, तो अब तक गठित ऐसी समितियों का ब्यौरा क्या है और इनके सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा पिछली बार मंत्रालय-वार किन तिथियों को बैठक की गई थी;

(ग) किसी केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा उक्त समिति का गठन न किए जाने की दशा में इसके लिए उत्तरदायी क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) : जी हाँ महोदय,दिनांक 02.12.1987 को हुई केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सरकार की राजभाषा नीति के सुचारु कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्‌देश्य से जिन विभागों के अधीन कार्यालय/उपक्रमों की संख्या काफी है उनमें हिंदी सलाहकार समितियां बनाई जाएं।

(ख) और (ग) :56 हिंदी सलाहकार समितियों का विवरण अनुलग्न पर है। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद, 10 हिंदी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया गया है, 19 हिंदी हिंदी सलाहाकार समितियों का प्रस्ताव विचाराधीन है और शेष में पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है।

केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल समान्यतः 3 वर्ष का होता है। विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

(घ) : राजभाषा विभाग हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन और उसकी नियमित बैठकों के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के लिए राजभाषा संबंधी निर्देशों के अनुसार हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन और उसकी बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है

******

"हिंदी सलाहकार समिति" के संबंध में दिनांक 16.03.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3311के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पुनर्गठित

क्रं.	मंत्रालय/विभागका नाम	बैठक की तारीख
1	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय	05.01.2021
2	संसदीय कार्य मंत्रालय	12.01.2021
3	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा निशक्त जन कार्य विभाग कीसंयुक्त समिति	बैठक आयोजित नहीं की गई है।
4	उपभोक्ता मामले विभाग	-वही-
5	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	-वही-
6	अंतरिक्ष विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की संयुक्त समिति	-वही-
7	नागर विमानन मंत्रालय	-वही-
8	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-वही-
9	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	-वही-
10	रेल मंत्रालय	-वही-

प्रस्ताव विचारधीन

क्रं.	मंत्रालय/विभागका नाम
1	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
2	खान मंत्रालय
3	कोयला मंत्रालय
4	पर्यटन मंत्रालय
5	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
6	शिक्षा मंत्रालय
7	श्रम और रोजगार मंत्रालय
8	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
9	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कीसंयुक्त समिति
10	स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय की संयुक्तसमिति
11	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

"हिंदी सलाहकार समिति" के संबंध में दिनांक 16.03.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3311के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

12	गृह मंत्रालय
13	नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
14	उर्वरक विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग तथा औषध विभाग कीसंयुक्त समिति
15	पैट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रालय
16	संस्कृति मंत्रालय
17	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
18	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
19	सूचना और प्रसारण मंत्रालय

पुनर्गठन प्रक्रियाधीन

क्र.	मंत्रालय/विभागका नाम
1	राजस्व, व्यय, विनिवेशएवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय की संयुक्त समिति
2	ग्रामीण विकास मंत्रालय
3	डाक विभाग
4	दूरसंचार विभाग
5	रक्षा उत्पादन विभाग
6	रक्षा मंत्रालय
7	विदेश मंत्रालय
8	आर्थिक कार्य विभाग एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग
9	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
10	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
11	विधि और न्याय मंत्रालय
12	नीति आयोग
13	विद्युत मंत्रालय
14	इस्पात मंत्रालय
15	पोत परिवहन मंत्रालय
16	वस्त्र मंत्रालय
17	पंचायती राज मंत्रालय
18	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अनुलग्नक

"हिंदी सलाहकार समिति" के संबंध में दिनांक 16.03.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3311के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

19	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
20	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
21	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग
22	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
23	आवासन और शहरी विकास मंत्रालय
24	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
25	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
26	जनजातीय कार्य मंत्रालय
27	राज्य सभा सचिवालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3311

TO BE ANSWERED ON THE 16TH MARCH, 2021/ PHALGUNA 25, 1942 (SAKA)

HINDI SALAHKAR SAMITI

3311. SHRI SHIVAKUMAR C. UDASI:
MS. PRATIMA BHOUMIK:
SHRI SUMEDHANAND SARASWATI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as per the provision of Official Language, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs all the Ministries has to constitute a Hindi Salahkar Samiti;

(b) if so, the details of such Samiti constituted so far along with the details of the members and the dates of the last meeting held, Ministry-wise;

(c) the reasons in case the said Samiti has not been constituted by any Central Ministry; and

(d) the action taken by the Government in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NITYANAND RAI)

(a): Yes Sir, as per a decision taken in the meeting of Kendriya Hindi Samiti held on 02.12.1987 it was decided that all the Departments which have a large number of offices/undertakings under their control should set up a Hindi Salahkar Samiti with a view to render advice for proper implementation of Official Language policy.

(b) & (c): **The details of 56 Hindi Salahkar Samitis is annexed. After the Constitution of 17th LokSabha, 10 Hindi Salahkar Samitis have been reconstituted, the proposal of 19 Hindi Hindi Salahkar Samitis is under consideration and rest are under the process of reconstitution.**

As per the guidelines issued by Central Government, normally the tenure of the Hindi Salahakar Samiti is 3 years. In special circumstances the tenure of the Samiti may be curtailed or enhanced by the Ministry/Department concerned.

(d): **The Department of Official Language sends directives regarding reconstitution and regular meetings of Hindi Salahkar Samiti from time to time. It is obligatory on the part of respective Ministries/ Departments to reconstitute and organize the meetings of Hindi Salahkar Samiti as per the Official Language directives.**

****

ANNEXURE

ANNEXURE IN REPLY TO LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 3311 FOR ANSWER ON 16.03.2021 REGARDING "HINDI SALAHKAR SAMITI"

Reconstituted

Sr.	Name of Ministry/Deparment	Date of Meeting
1	Ministry of Agriculture	05.01.2021
2	Ministry of Parliamentary Affairs	12.01.2021
3	Joint Committee of Department of Social Justice and Empowerment and Department of Empowerment of Persons with Disabilities	Meeting not organized yet
4	Department of Consumer Affairs	-same-
5	Ministry of Development of North East Region	-same-
6	Joint Committee of Department of Space and Department of Nuclear Energy	-same-
7	Ministry of Civil Aviation	-same-
8	Ministry of Women & Child Development	-same-
9	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	-same-
10	Ministry of Railways	-same-

Proposal Under Consideration

Sr.	Name of Ministry/Deparment
1	Ministry of Food Processing Industries
2	Ministry of Mines
3	Ministry of Coal
4	Ministry of Tourism
5	Ministry of Statistics and Programme Implementation
6	Ministry of Education
7	Ministry of Labor & Employment
8	Ministry of Commerce and Industry
9	Joint Committee of Ministry of Science & Technology and Ministry of Earth Sciences
10	Joint Committee of Ministry of Health & Family Welfare and Ministry of Ayush
11	Ministry of Environment, Forest and Climate Change
12	Ministry of Home Affairs
13	Ministry of New & Renewable Energy
14	Joint Committee of Department of Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals and Department of Pharmaceuticals
15	Ministry of Petroleum & Natural Gas
16	Ministry of Culture
17	Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
18	Ministry of Youth Affairs & Sports

Reconstitution Under Process

Sr.	Name of Ministry/Deparment
1	Joint Committee of Department of Revenue, Expenditure, Investment & Public Asset Management and Office of the Comptroller and Auditor General of India
2	Ministry of Rural Development
3	Department of Post
4	Department of Telecom
5	Department of Defence Production
6	Department of Defence
7	Ministry of External Affairs
8	Joint Committee of Department of Economic Affairs and Department of Financial Services
9	Department of Industrial Policy and Promotion
10	Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
11	Ministry of Law & Justice
12	NitiAayog
13	Ministry of Power
14	Ministry of Steel
15	Ministry of Shipping
16	Ministry of Textiles
17	Ministry of Panchayati Raj
18	Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvination
19	Ministry of Electronics and Information Technology
20	Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
21	Ministry of Road Transport and Highways
22	Ministry of Minority Affairs
23	Ministry of Housing and Urban Affairs
24	Ministry of Corporate Affairs
25	Ministry of Drinking Water and Sanitation
26	Ministry of Tribal Affairs
27	RajyaSabha Secretariat